

राजस्थान सरकार
 न्यायालय भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेडा जिला - भीलवाडा.
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प बनेडा

— आदेश —

प्रार्थी के 'खाता दुरस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बनेडा व भूअ.नि. मोहनलाल की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बनेडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कपलैडिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की जमाबन्दी सम्वत् १९७१-७४ खाता संख्या १०८ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>कपलैडिया</u>	<u>१०८</u>	<u>मगवानलाल पि- मोहनलाल</u>	<u>मगवानलाल पि- मोहनलाल</u>

(मोहनलाल शर्मा)
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - भीलवाडा

क्रमांक :- ५२६/१७

दिनांक :- १३/६/१७

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री मगवानलाल पि- मोहनलाल को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली

(मोहनलाल शर्मा)
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - भीलवाडा